अंवरलाल / मधुसुदन
(2018/00010)

हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18.05.21	कोरोना संक्रमण के कारण राजस्थान सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन (10.5.21 से 24.5.21 तक) घोषित किया जाने के कारण न्यायालय बन्द रखे जाने से न्यायिक कार्य स्थगित। P.O. आ - कोरोना पोजिटिव/आइसोलेट अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 13-7-21 को पेश हो।	
13-7-21	पत्रा.पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पो.संख्या............ के अभिभाषक उपस्थित। अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 13-9-21 को पेश हो। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	
13-9-2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीगण अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थीगण अधिवक्ता का अपील विड्रो किये जाने के प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रकरण में अपीलार्थी सं0 1 की मृत्यु होने से उनके वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र कायम मुकाम कार्यवाही प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस हेतु नियत है। अपीलार्थी अभि. को अपील विड्रो प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण को मौखिक सूचना देने के बावजूद अपीलार्थीगण अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया है। इस कारण उक्त अपील को अपीलांट अधिवक्ता विड्रो करना चाहता है। अतः उक्त अपील को विड्रो किया जाना न्यायसंगत होने से अपील आज ही विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये इसे दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत अपील को आगे नहीं चलाकर विड्रो करवाना चाहते है जिससे न्यायहित में विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक का अपील विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	Dhaniram J/0 धनीराम J.O. 13-9-21

32

Scanned with CamScanner